प्रकरण संख्या 24/2020 सरकार बनाम नारायणलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.03.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद घोषणा एवं दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वर्गीय लालूराम गुर्जर ने ग्राम बलीचा की आराजी नंबर 112, 113, 114 मीजान 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि दिनांक 08.03.1938 को क्रय की, तब से वादी का कब्जा चला आ रहा है। पैमाईश के समय उक्त साबिक आराजी के नये नंबर 990 व 1016 बने। आराजी नंबर 1016 के दक्षिण में आराजी नंबर 240/1(क), (क)मी., (ख)मी. मीजान 2 रकबा 2 बीघा था, जिसका खातेदार काश्तकार भंवरलाल पिता देवीलाल गुर्जर था, जो करीब आज से 17 वर्ष पूर्व फोत हो गया। आराजी नंबर 240/1(ख)मी. स्वर्गीय भंवरलाल के खाते की थी, जिसका रकबा 1100 एयर को 60 वर्ष पूर्व सीमांकन में बनायी गयी पक्की दीवार की बीच सम्मिलित किया गया जो अभी तक है। उक्त भूमि में राज्य सरकार देवस्थान विभाग का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है एवं मौके पर कब्जा 1938 से निरन्तर वादी का चला आ रहा है। गत पैमाईश लगभग 20 वर्ष पूर्व हुई जिसमें आराजी नंबर 240/1 को विभाजित कर नये नंबर240/1(क), 240/1(क)मी., 240/1(ख)मी. के सीरियल नंबर 999, 998, 997 तद्नुसार 240/1(ख)मी. = 997 को देवस्थान विभाग के नाम गलत दर्ज कर दिया, जबकि आराजी नंबर 997 रकबा 10½ बिस्वा पर कब्जा आज से करीब 64 वर्ष पूर्व से वादी का चला आ रहा है। अतः आराजी नंबर 240/1(ख)मी. = 997 रकबा 10½ बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरस्ती करायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 03.06.2017 से वादी का वाद स्वीकार कर आराजी नंबर 997 रकबा 0.1100 हैक्टर में से रकबा 0.0820 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 02.03.2020 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु हकरसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हुई। अतः देरी को कण्डोन फरमाया जावे। न्यायहित में देरी को कण्डोन फरमाया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ जमाबन्दी एवं	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:57 IST
Reason: SelfAttested

मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गयी, जो प्रमाणित दस्तावेज होने से न्यायहित में रेकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उच्चतर न्यायालयों के निर्देशों की पालना नहीं की है तथा लोक अदालत में बिना राजीनामे के निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपीलान्ट मूल प्रकरण संख्या 175/2011 में पक्षकार नहीं था, ऐसी स्थिति में बिना आप न्यायालय की अनुमति के उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है इसलिए अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की कार्य शैली पर मिथ्या आरोप लगाये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में पेशी दिनांक 05.07.2017 को नियत थी, किन्तु बिना पक्षकारों को सूचना दिये नियत पेशी दिनांक से पूर्व ही दिनांक 03.06.2017 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं उनकी साक्ष्य लेकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 07.05.2021 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.03.23 12:37:57 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
संभाग आयुक्त
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर